



The Madhya Pradesh VAT (Amendment) Act, 2020

Act 18 of 2020

Keyword(s):

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2020—आश्विन 4, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र. 11300-199-इकीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को
महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभ्य कुमार, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२०

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२०.

[दिनांक २५ सितम्बर, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २६ सितम्बर, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

(२)(क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रवृत्त होंगे।

(ख) इस संशोधन अधिनियम के अन्य उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (भ) में, उपखण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(पांच) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि;”.

धारा १४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१ क ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१ क ग) (क) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि विहित किए जाएं, जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३क में यथाविर्तिदिष्ट डीजल और पेट्रोल मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए डीजल और पेट्रोल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यापारी, जो मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन पंजीकृत है, धारा १७ के अधीन विहित कालावधि के पश्चात् किन्तु ३१ मार्च, २०२१ के पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करा लेता है, वह अनुसूची-२ के भाग-३क में विनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल के संबंध में कर का भुगतान करने के दायित्व की तारीख को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी पंजीकृत ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि यदि आगत कर, देय कर की राशि के दायित्व से अधिक है तब प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।”.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र. 11300-199-इकोस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभ्य कुमार, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2020

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2020

[Received the assent of the Governor on the 25th September, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary)", dated the 26th September, 2020].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy first year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2020.

Short title and commencement.

(2) (a) The provision of section 2 of this amending Act shall come into force from such date as may be notified by the State Government.

(b) The other provision of this amending Act shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (x), after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be added, namely:—

Amendment of section 2.

“(v) The amount collected by way of cess under the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018) and the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018);”

3. In section 14 of the principal Act, for sub-section (1AC), the following sub-section shall be substituted namely:—

Amendment of section 14.

“(1AC) (a) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases diesel and petrol as specified in Part-IIIA of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after paying him input tax, and sells the diesel and petrol so purchased within the State of Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed, in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), where a dealer, who is registered under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), gets himself registered under Section 17 by making an application for grant of a registration certificate after the prescribed period but before 31st March, 2021, he shall, in respect of diesel and petrol specified in Part-IIIA of Schedule II purchased on after date of liability to pay tax by him within the State of Madhya Pradesh from a registered dealer after payment to him input tax, claim or be allowed input tax rebate of the amount of such tax in accordance with the provision of clause (a) above. However, no refund shall be given if the input tax is more than the liability to pay the output tax.”